न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या— 13 / 2021

वादी :—

श्रीमती सोहनीदेवी पत्नी नारायणराम जाति देवासी निवासी होलपुर खुर्द तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. श्रीमती गीता पुत्री गायडराम पत्नी श्रवणराम जाति देवासी निवासी डांगियावास तहसील व जिला जोधपुर
2. हडमानराम पुत्र गायडराम जाति देवासी निवासी होलपुर खुर्द तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. कमलादेवी पत्नी भैराराम जाति जाट निवासी हरियाडा तहसील बिलाडा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 व 3 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 4 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांकः—** 13/01/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नंबर 395 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा आयी हुयी है। यह भूमि प्रतिवादी सं. 1, 2 के पिता गायडराम पुत्र जोगाराम जाति देवासी निवासी होलपुर खुर्द तहसील बिलाडा की थी। प्रतिवादी सं. 1, 2 के पिता गायडराम ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 395 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा का दस्तावेज दिनांक 25.01.2011 को वादी के पक्ष में कर दिया। जो रजिस्टर्ड बेचाननामा का दस्तावेज दिनांक 25.11.2011 को पुस्तक सं. प्रथम, जिल्द सं. 320 पृष्ठ सं. 83 क्रम सं. 20011000480 पर उप पंजीयक बिलाडा में पंजीयन किया गया। वादी द्वारा जब से भूमि 395 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा की भूमि को प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता से दिनांक 25.1.2011 को खरीद किया गया, तब से वादी का कब्जा व काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादी ने बैचाननामा के जरिये म्यूटेशन स्वीकृति के लिए तत्कालीन पटवारी हल्का को रजिस्ट्री की नकल दे दी गयी थी। तथा वादी इसी विश्वास में रहा कि म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया गया है, इस कारण वादी ने उपरोक्त खरीदसुदा भूमि खसरा नंबर 395 के राजस्व रेकर्ड की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। वादी दिनांक 18.01.2021 को अपनी खरीदसुदा भूमि की जमाबंदी की नकल लेने हेतु हल्का पटवारी के पास गयी तो हल्का पटवारी ने वादी को बताया कि विवादित भूमि आपकी खातेदारी की नहीं है। विवादित भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने प्रतिवादी सं. 3 को रजिस्टर्ड बैचान कर दी है, जिसका म्यूटेशन अभी लंबित है, यह सुनकर वादी बडी आश्चर्यचकित हुयी। जिस पर वादी प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पास गयी और निवेदन किया कि आपका नाम रेकर्ड में गलत चल रहा है और तहसील में चलकर बयान करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा मुकर गये और धमकी दी कि फौजदारी मुकदमा में फंसा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

देंगे। भूमि खसरा नंबर 395 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा दिनांक 25.01.2011 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पास विक्रय के लिए उपलब्ध ही नहीं थी, इस भूमि को प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता गायडराम द्वारा दिनांक 25.01.2011 को ही वादी से प्रतिफल की राशि प्राप्त कर उसके पक्ष में रजिस्टर्ड बेचाननामा निष्पादित कर दिया था। अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता गायडराम द्वारा पूर्व में वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 25.01.2011 को खसरा नंबर 395 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 13 बिस्वा को बैची जा चुकी भूमि को प्रतिवादी सं. 1 व 2 को प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादन करने का अधिकारी नहीं था। अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में जारी विक्रय विलेख वादी के हितों तक बेअसर एवं निष्प्रभावी है। जिससे प्रतिवादी सं. 3 को कोई हक हासिल नहीं होते है। उपरोक्त भूमि खसरा नंबर 395 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बिघा 13 बिस्वा को वादी ने प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता से दिनांक 25.01.2011 को रजिस्टर्ड बैचान से खरीद कर लिया था। इस कारण वादी सद्भावी खरीददार है तथा रेकर्डेड खातेदार प्रतिवादी सं. 1 व 2 की खसरा नंबर 395 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा को पूरी कीमत देकर जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के खरीद किया है तथा खरीदसुदा भूमि पर काबिज है। वादी अपनी खरीदसुदा भूमि की खातेदारी घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने की अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 25.01.2011 को उपरोक्त भूमि को वादी द्वारा खरीदने पर तथा हल्का पटवारी द्वारा जरिये बैचाननामा का म्यूटेशन स्वीकृत नहीं करने पर तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अवैध रूप से फौतेदगी नामान्तरकरण सं. 1724 को स्वीकृत करा कर अपनी खातेदारी भूमि होना बताकर षडयंत्रपूर्वक प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने विवादित भूमि को प्रतिवादी सं. 3 का बैचाननामा निष्पादित कर देने पर बमुकाम ग्राम हरियाडा पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है। विवादग्रस्त भूमि ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा में स्थित होने से दावा घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए होने से तथा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 395 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 25.01.2011 के आधार पर वादी की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाने का आदेश फरमावें। अवैध नामान्तरकरण सं. 1724 को निरस्त फरमाया जावें। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में किया गया बैचाननामा वादी के हक व हिस्से तक का बेअसर एवं निष्प्रभावी घोषित किया जावे तथा नामान्तरकरण सं. 1968 दिनांक 14.01.2021 को निरस्त फरमाया जावें। प्रतिवादी सं. 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादी की घोषित भूमि खसरा नंबर 395 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा में किसी प्रकार का दखल इत्यादि नहीं करे एवं न ही अन्य किसी से करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 1 व 3 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मदनलाल चौधरी द्वारा दिनांक 30.07.2021 को सूचना पत्र प्रेषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 3 को सूचित किया कि प्रतिवादी 1 व 3

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

द्वारा राजस्व वाद व राजस्व प्रार्थना पत्र में पैरवी करने हेतु मुझे अधिवक्ता नियुक्त कर वकालतनामा आप दोनों द्वारा मेरे पक्ष में निष्पादित किया। आप दोनों द्वारा मुझे आज दिन तक उक्त दावा व स्थगन प्रार्थना पत्र में पैरवी करने हेतु निर्धारित फीस अदा नहीं की है इसलिए अब मैं आप दोनों की ओर से उक्त दावा व स्थगन प्रार्थना पत्र में बिना फीस पैरवी नहीं कर सकता। उक्त सूचना पत्र के बाद भी प्रतिवादी सं. 1 व 3 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 06.12.2022 को प्रतिवादी सं. 1 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 2 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 12.02.2024 को प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 4 सरकारी पेरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार पद सं. 1 आंशिक रूप से स्वीकार है। पद सं. 2 से 4 वादी स्वयं साबित करें। पद सं. 5 यह है कि पूर्व खातेदार गायडराम पि. जोगाराम जाति देवासी फौत होने से जरिये म्यूटेशन सं. 1724/20.12.15 के जरिये वारीशान हडमानराम पि. गायडराम, गीता पुत्री गायडराम के नाम राजस्व रेकर्ड अमल दरामद हुआ। वर्तमान खातेदारान द्वारा खसरा नंबर 395 रकबा 0.5339 हैक्टयर भूमि क्रेता कमलादेवी पत्नी भेराराम जाति जाट को बैचान किया जाने से जरीये नामा.सं. 709/12.2.2021 के रेकर्ड अमल दरामद हुआ। पद सं. 6 से 10 कानूनी है। पद सं. 11 वादी की इस्तदुआ है वादी अपने प्रथम विक्रय विलेख के अनुसार अपने कम की गई भूमि का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज चाहा गया है एवं द्वितीय बैचान नामा. हिस्सा अनुसार निरस्त किया जाने की इस्तुआ की है जो सही है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा खण्डन नहीं करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र श्रीमति सोहनीदेवी पत्नी नारायणराम का पेश किया गया।

वादिया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खसरा नंबर 395 रकबा 0.5339 हैक्टयर ग्राम हरियाडा, प्रदर्श 2 बैचाननामा गायडराम बहक श्रीमति सोहनी दिनांक 25.01.2011 आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादिया ने अपने साक्ष्य में वादपत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता गायडराम पुत्र जोगाराम जाति देवासी निवासी होल्पुर खुर्द तहसील बिलाडा ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 395 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 25.01.2011 को वादिया के पक्ष में निष्पादित किया। वादिया की उक्त साक्ष्य का प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत कर कोई खण्डन नहीं किया गया है एवं न ही कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिस पर वादिया की साक्ष्य अखण्डित रही है। अतः वादिया के वाद पत्र तथा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों से वादिया यह सिद्ध करने में सफल रही है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता ने वादिया के पक्ष में बैचाननामा निष्पादित किया व भूमि का कब्जा सुपुर्द किया तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता को भूमि की कीमत भी अदा की है तथा खरीदसुदा भूमि

कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाडा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पर वादिया काबिज काश्त है। वादिया भूमि के खरीद के आधार पर अपनी खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता गायडराम द्वारा खसरा नंबर 395 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में 1 बीघा 13 बिस्वा का रजिस्टर्ड बैचान करने पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता के पास केवल 1/2 हिस्सा ही शेष बचता है किन्तु प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता की मृत्यु के उपरान्त विरासत नामा. भरते समय सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम नामा. स्वीकृत कर दिया गया जो कि अवैध है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में अपनी सम्पूर्ण भूमि का रजिस्टर्ड बैचान निष्पादित किया गया जबकि प्रतिवादी सं. 1 व 2 का खसरा नंबर 395 में कुल 1/2 हिस्सा की बनता है। वादिया को रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने की भूमिधारी द्वारा सहमति प्रदान की गई है। वादिया का दावा डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नंबर 395 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा बैचाननामा के आधार पर वादिया की खातेदारी की घोषित की जाती है। अवैध नामान्तरकरण संख्या 1724 व 1968 वादिया के हित तक निरस्त किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादिया की घोषित खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मदला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 3/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मदला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
सोहनीदेवी		गीता वगैराह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 13 / 2021

निर्णय **दिनांक :–** 13/11/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 व 3 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नंबर 395 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 1 बीघा 13 बिस्वा बैचाननामा के आधार पर वादिया की खातेदारी की घोषित की जाती है। अवैध नामान्तरकरण संख्या 1724 व 1968 वादिया के हित तक निरस्त किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादिया की घोषित खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/11/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा